न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 77 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 196

प्रार्थीया	अप्रार्थीगण
देवू देवी पुत्री राजाराम, पत्नी बाबुलाल, जाति–रेबारी, निवासी–जाखल, तहसील–सांचौर	राजा पुत्र सोनीया वगैरह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 18.09.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार सिंह राठौड़ उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भागीरथराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह अचलपुर उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 07 व 9 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 05.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा रावतसर, पटवार हल्का–अरणाय के खातेदारी खेत खाता संख्या 135 खसरा नंबर 361 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नंबर 426 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 2.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 435 रकबा 2.21 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.77 हैक्टेयर व इसी गांव के खाता संख्या 101 खसरा नंबर 392 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394 रकबा 4.67 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.71 हैक्टेयर की आयी हुई है जिसमें प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्से में प्रार्थीया का 1/9 हिस्सा पुश्तैनी पैतृक आया हुआ है जिसे इस वादपत्र की कार्यवाही में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया जायेगा। मौजा रावतसर, पटवार हल्का अरणाय में स्थित प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी मौके पर एक मौखिक एवं भाईया बंटवाड़ा कर प्रार्थीया एवं अप्रा[illegible] कब्जा काश्त प्राप्त कर लिया जो बदस्तूर है जिसकी खातेदारी अप्रार्थी राजा[illegible] नाम [illegible] राजस्व रेकर्ड में 1/4 हिस्सा दर्ज सुदा आई हुई है। अत दावा [illegible] में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी में से प्रार्थीया, प्रार्थीया के हिस्से [illegible] आराजी में आज से चार पांच रोज पूर्व काश्त कार्य कर रही थी, इतने में अप्रार्थीगण एक राय होकर मौके पर आकर प्रार्थीया को उक्त आराजी को छोड़कर चले जाने की मौखिक एलानिया धमकी दी जबकि प्रार्थीया का प्रार्थीया के हिस्से व बंट की आराजी पर शांति पूर्वक कब्जा काश्त आया हुआ है अतः दावा हाजा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद के सादिर फरमावें कि मौजा रावतसर, पटवार हल्का अरणाय में स्थिति उपरोक्त खसरा नंबरान आराजी अप्रार्थी राजा की आराजी या प्रार्थीया के कब्जे काश्त में न अप्रार्थीगण स्वयं व न किसी अन्य के द्वारा दखलंदाजी करें व करावें तथा न ही इस वादग्रस्त आराजी को आगे किसी को बैचान, रहन, गिरवी या अन्य प्रकार से संक्रान्त करे व करावें व न किसी प्रकार का दस्तावेज ही निष्पादित करे व करावें एवं मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र आधारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र मय खर्चा हाजा खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि सरहद मौजा रावतसर, पटवार हल्का अरणाय के खाता संख्या 135 खसरा नंबर 361 रकबा 0.99 हैक्टेयर, खसरा नंबर 426 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 427 रकबा 2.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 434 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 435 रकबा 2.21 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.77 हैक्टेयर व इसी गांव के खाता संख्या 101 खसरा नंबर 392 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 393 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 394 रकबा 4.67 हैक्टेयर जुमले रकबा 4.71 हैक्टेयर भूमि का अप्रार्थीगण किसी अनजबी क्रेता को बैचान, हस्तांतरण, रहन नहीं करें व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **05.01.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:18 IST
Reason: SelfAttested